and two boats with 12 Gujarati fishermen were captured on 3.4.1989.

- (e) Yes, Sir.
- (d) The Government has been requesting the Pakistan Government to release and repatriate the fishermen and the boats.

Relief Supplies for Earthquake Victims in U.S.S.R.

788 SHRI K. V. THANGKA-BALU. Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether Government have extended cooperation in sending relief supplies for the victims of earthquake in the U.S.S.R.; and
- (b) if so, what. are the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes, Sir.

(b) Five IL-76 planeloads of relief supplies totalling over 150 were airlifted between 10th to 28th December, 1988. The items included supplies from the various agencies of the Government the Red Cross, and donations by private industry. mix of the relief supplies was decided in consultation with Soviet authorities taking into account their priorities. Indian relief supplies includwoollens. arctic ed blankets and beds, tents, stretchers and hospital various categories of medical surgical equipment and drugs. In ad-Minister's Armenia dition, "Prime Earthquake Relief Fund" has constituted to channelise cash contributions from private citizens and institutions all over India State Governments and the administrators of Union Territories were requested to facilitate the receipt of cotributions.

ब्लू फिल्मों का निर्माण, ग्रायात ग्रोर प्रसारण

to Questions

- @789. श्रीमती सत्या बहिन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) क्या यह सच है कि देश में निर्मित ग्रीर श्रायातित ब्लू फिल्मों के कारण युवा पीढ़ी के नैतिक चरित्र में गिर चट श्रा रही है, जिसके फलस्वरूप देश में सैक्स की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है, श्रीर यदि हां, तो इस वृत्ति को रोकने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं : ग्रीर
- (ख) क्या सरकार ने इन लाइब्रेरियों के लिये कोई इनुज्ञापत जारी किये हैं और ज्ञया सनोरंजन वर या विसी दूसरे कर के साध्यम से राजस्व साया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा श्रीर संस्कृति विभागों में राज्यमंत्री (श्री एल.पी. साही) : (क) देश में सार्वजितक प्रदर्शन से पूर्व प्रत्येक फिल्म का, वह सैलुलायड हो अथवा वीडियो, भारतीय हो अथवा विदेशी, चलचित्र , 1952 (1952 का 37). अधिनियम, प्रमाणन नियमावली, 1983 चलचित श्रीर अधिनियम की धारा 5ख (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा दारी दिशा निर्देशों के अधीन केन्द्रीय फिल्स प्रमाणन प्रमाणीकरण अपेक्षित है। बोर्ड द्वारा इन दिशा-निर्देशों में ग्रन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्धारित है कि बैन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड फिल्मों को सार्व तिक प्रदर्शन के लिये संस्वीकृति प्रदान रूरते समय यह स्निश्चित वरेगा कि ग्रभद्रता, अर्श्लालता भौर चरित्रहीनता के दगरण सन्वीय भावनात्रों को कोई ठेस न पहुंचे। इसके म्रतिरिक्त, म्राया**ित फीचर फिल्मों** के मासले में, उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रसाणन के लिये प्रस्तुत लिये जाने से पहले, उनकी एक स्वतंत्र फिल्म आयात चयन समिति द्वारा सरकार द्वारा घोषित फीचर फिल्मों

@पूर्वत: ग्रतारांकित प्रश्न 515 जी 28 ग्रप्रैल, 1989 से स्थानांरतरित हुना।